न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 63/2024
जी.सी.एम.एस. संख्याः—2024/75

अपीलार्थीपक्षः—

1. नखताराम पुत्र भलाराम
2. भीयाराम पुत्र भलाराम
3. श्रीमती सुवादेवी पत्नी भलाराम

जातियान मेघवाल, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू0अ0/2014/1178 दिनांक 20.05.2014 जो तहसीलदार (भू.अ.) शेरगढ द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलार्थीगण)।

आदेश दिनांक :— 30.12.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश क्रमांक/भू0अ0/2014/1178 दिनांक 20.05.2014 को तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज कुंभा पुत्र पन्ना तथा अपीलार्थीगण के सह खातेदार के पूर्वज रावत पुत्र जेठा की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 227 कुल रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा ग्राम सोमेसर में स्थित है उक्त खसरा रकबा में से सड़क निकल जाने के कारण 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज कर दी गई। शेष भूमि रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा कुम्भा व रावत के खातेदारी में दर्ज रही। कुम्भाराम एवं रावत का देहान्त होने पर राजस्व रिकॉर्ड में बिंजाराम, भलाराम पुत्रान कुम्भाराम, श्रीमती अणची पत्नी **भलाराम** एवं दुर्गाराम, बाबूराम, गणेशराम, पुत्रान रावत के नाम दर्ज हुआ। श्रीमती अणची का देहान्त हो जाने पर उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया गया उसके बाद अपीलार्थीगण के पूर्वज बींजाराम एवं भलाराम ने अपने 1/2 हिस्से में से [illegible] 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बिस्वा का बेचान बाबुराम पुत्र रावतराम के पक्ष में कर दिया। रावतराम के हक हिस्से की भूमि अकेले दुर्गाराम पुत्र रावतराम के नाम से दर्ज हुई। बिजाराम एवं भलाराम का देहान्त हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में बीजाराम एवं भलाराम के वारिसानों का नाम बतौर खातेदारी दर्ज हुआ। राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान ने अपने-अपने हक हिस्से में से कुछ बेचान कर दिया एवं क्रेतागण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। क्रेता बाबुराम पुत्र रेवतराम ने न्यायालय सहायक जिलाधीश शेरगढ के समक्ष बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय सहायक जिलाधीश शेरगढ ने खातेदारों की सहमति से वाद में दिनांक 17.02.2023 को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार शेरगढ से प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया। तहसीलदार शेरगढ़ ने मौके पर कब्जा काश्त एवं हक हिस्से अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा न्यायालय सहायक जिलाधीश शेरगढ़ को प्रेषित किया जिसके आधार पर खातेदार की सहमति से दिनांक 21.04.2023 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई, अन्तिम डिक्री के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में बंटवाड़े का इन्द्राज कर दिया गया। इसी बीच अपीलार्थीगण को राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की ओर से भेजा गया नोटिस दिनांक 03.07.2023 को प्राप्त हुआ, उक्त नोटिस में बतलाया गया कि खसरा संख्या 227 में से 7 बीघा भूमि का समर्पण दिनांक 19.05.2014 को किया गया जिस पर दिनांक 20.05.2014 को तहसीलदार शेरगढ ने आदेश पारित किया। अपीलार्थीगगण ने दिनांक 06.07.2023 को तहसीलदार शेरगढ़ से उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो समर्पण आदेश की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण के पिता ने अपनी खातेदारी भूमि में से कभी भी राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण नहीं किया। तहसीलदार शेरगढ के आदेश दिनांक 20.05.2014 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शेरगढ़ स्वयं उपस्थित हुए। न्यायालय के पत्र क्रमांक एडीएम-प्रथम/कोर्ट/2023/216 दिनांक 12.07.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2023/5883 दिनांक 12.07.2023 मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस दिनांक 16.12.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 30.12.2024 को आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थीगण को राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की ओर से भेजा गया नोटिस दिनांक 03.07.2023 को प्राप्त हुआ, उक्त नोटिस में बतलाया गया कि खसरा संख्या 227 में से 7 बीघा भूमि का समर्पण दिनांक 19.05.2014 को किया गया जिस पर दिनांक 20.05.2014 को तहसीलदार शेरगढ ने आदेश पारित किया। अपीलार्थीगगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दिनांक 06.07.2023 को तहसीलदार शेरगढ़ से उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदन किया एवं अपीलांट को दिनांक 07.07.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर तथाकथित समर्पण आदेश की जानकारी हुई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा अविलम्ब यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे माफ कर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने की प्रार्थना की।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपील पेश करने में देरी के पर्याप्त कारण, उल्लेखित तथ्य, सद्भाविक एवं संतोषजनक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है:–

1. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत कथनों एवं तर्को पर गहनता से मनन किया।
2. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित अभिकथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता ने खसरा नम्बर 227 की भूमि में से दिनांक 20.05.2014 को भूमि का समर्पण नहीं किया तथा यह समर्पण फर्जी एवं बनावटी है तथा विधि विरूद्व है क्यों कि अगर 20.05.2014 के आदेशानुसार समर्पण किया होता तो उसी समय राजस्व अभिलेख में अमल दरामद भी हो जाता। न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ़ द्वारा राजस्व वाद में आपसी सहमति के आधार पर आराजी विभाजन की अंतिम डिक्री दिनांक 21.04.2023 को पारित की गई तथा दिनांक 21.04.2023 को ही विभाजन डिक्री अनुसार रेकर्ड में इन्द्राज भी हो गए है। प्राथमिक विभाजन डिक्री की पालना में भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार शेरगढ़ ने ही विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में पेश किए है तथा विभाजन डिक्री की पालना में निष्पादन का नामान्तरकरण भी तहसीलदार ने स्वीकृत कर जमाबंदी में सहखातेदारो के नाम अमल दरामद हुए है। अगर 20.05.2014 का समर्पण आदेश सही होता तो तहसीलदार शेरगढ़ विभाजन के प्रस्ताव में दावे के जवाब में आक्षेप कर सकते थे तथा विभाजन [illegible] की अपील भी कर सकते थे परन्तु ऐसा कोई आक्षेप अभिलेख पर नहीं है। [illegible] सरकार की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार शेरगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 26.[illegible].2023 के अनुसार समर्पण आदेश दिनांक 20.05.2014 का राजस्व रेकर्ड में [illegible] दरामद नहीं है तथा मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट का ही कब्जा काश्त होना बताया है। यह भी कथन किया कि प्रतिलिपि का आवेदन करने के पश्चात ही समर्पण की जानकारी मिली है। यह भूमि सोमेसर की आबादी भूमि के पास स्थित है तथा खातेदारों ने बेचान भी कर दिया है। सपर्मणकर्ता भलाराम व बींजाराम के फौत होने से तथा बेचान होने से एवं बंटवारा होने से नामान्तरकरण संख्या 955, 1000, 1001, 1002, 1003 एवं 1008 दर्ज होकर रेकर्ड में भारी परिवर्तन हो चुका है तथा मौके पर दुकानों का निर्माण भी हो रखा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 20.05.2014 को अपास्त करावें।

3. हमने तहसीलदार शेरगढ़ की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। अभिलेख से यह तथ्य उजागर होते है कि :–

(i) दिनांक 20.05.2014 को एक प्रार्थना पत्र भूमि समर्पण पत्र स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिस पर बींजाराम, भलाराम का अगुंठा निशान है तथा दुर्गाराम के हस्ताक्षर है तथा श्री आवड़दान चारण सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर पहचानकर्ता है। इस पत्र के संलग्न 100/– रूपये के स्टाम्प पर भूमि समर्पण पत्र दिनांक 19.05.2014 का लिखा हुआ है जिसमें यह लिखा गया है कि ग्राम सोमेसर के खसरा संख्या 227 रकबा 25–03 बीघा भूमि में से 7 बीघा भूमि "सार्वजनिक गौचर" हेतु राज्य सरकार के हित में समर्पण करते है जिस पर हमने कब्जा हटा लिया है। समर्पण स्वीकार कर नामान्तरकरण सरकार के पक्ष में भर दिया जावे। इस पर समर्पण पत्र के द्वितीय स्टाम्प के पीछे के पृष्ठ पर समर्पण नामा दिनांक 19.05.2014 शीर्षक से तहसीलदार शेरगढ़ की रिपोर्ट व समर्पण स्वीकार करने के आदेश का अंकन किया हुआ है तथा अंकन किया है कि समर्पण भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाकर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक बिला कब्जा दर्ज किया जावे। उक्त समर्पण पर पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 19.05.2014 भी अंकित है तथा मौके पर भूमि का कब्जा खाली होना अकित किया है।

(ii) विवादास्पद समर्पण पत्र हेतु दिनांक 19.05.2014 को 50–50 रूपये के दो स्टाम्प, स्टाम्प वेन्डर मांगीलाल से क्रमांक 85 दिनांक 14.05.2014 को दुर्गाराम द्वारा क्रय करना बताया है परन्तु स्टाम्प खरीददार के हस्ताक्षर क्रय के पृष्ठांकन पर नहीं है सिर्फ आवड़दान चारण सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर अंकित है जो विधि विरूद्ध है।

(iii) तहसीदार शेरगढ से पत्रांक राजस्व/2024/440 दिनांक 21.05.2024 से व भू.अ. निरीक्षक दासानिया की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रिकार्ड अनुसार दिनांक 20.05.2014 के आदेश से समर्पणनामा स्वीकार हुआ है परन्तु आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक आज दिन तक दर्ज नहीं हुई है तथा मौके पर सम्पूर्ण भूमि का उपयोग खातेदारों द्वारा ही किया जा रहा है। खातेदारों द्वारा भूमि को सार्वजनिक गोचर हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामान्तरकरण भरवाने का आवेदन में लिखा है, जबकि समर्पण में भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं की जा सकती। समर्पण शर्त रहित स्वीकार किया जाता है।

(iv) सहायक कलक्टर शेरगढ़ के न्यायालय ने प्रकरण संख्या 49/2022 में दिनांक 17.02.2023 को खसरा नम्बर 227 रकबा 3.0003 हैक्टेयर की भूमि का तत्समय अभिलिखित सहखातेदारों के मध्य आराजी विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा तहसीलदार शेरगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 21.04.2023 को अंतिम विभाजन डिक्री जारी होने पर राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद भी हो चुका है। परन्तु उक्त घटनाओं के बाद अधिवक्ता से प्राप्त नोटिस दिनांक 03.07.2023 से विवादास्पद समर्पण का तथ्य उजागर हुआ है तथा डिक्री के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील विचाराधीन होना अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस बताया गया परन्तु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।

(v) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 55 व 56 के तहत आसामी द्वारा अपने आधिपत्य की भूमि का कब्जा छोड़ते हुए एक लेख पत्र द्वारा जो अधिकारिता वाले तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो, से समर्पित किया जा सकता है। समर्पण करना एक तथ्य है तथा इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए क्यों कि इसके द्वारा एक टिनेन्ट अपनी कृषि भूमि पर अधिकार, स्वत्व, हक इत्यादि हमेशा–हमेशा के लिए खो देता है। अतः इसमें विधिक प्रक्रिया का आज्ञात्मक रूप से कड़ाई से पालना किया जाना चाहिए। इस कार्य को रूटीन में नहीं किया जा सकता ताकि फर्जी तरीके से भूमि का समर्पण कर लगान के दायित्व से आसामी मुक्त नहीं हो सके। इसी कारण धारा 56 में यह आज्ञात्मक प्रावधान है कि भूमि समर्पण से पहले आसामी अपनी मंशा बाबत एक पंजीबद्व नोटिस तहसीलदार को भेजेगा। समर्पण स्वेच्छा से होना चाहिए। भूमि का कब्जा सूपूर्द करना आवश्यक है। मात्र लेख पत्र में लिख देने मात्र से कब्जा राज्य को सूपूर्दगी नहीं माना जा सकता। इस प्रकरण में राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि विवादास्पद समर्पित भूमि का कब्जा आज भी अपीलांट के पास है तथा सरकार के पास कब्जा नहीं है तथा 2014 के आदेश की पालना में आज तक भूमि सरकारी खाते में दर्ज नहीं की गई है, जबकि समर्पण के दिन ही आदेश की पालना में आदेश की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार, शेरगढ़ व पटवारी सोमेसर को पृष्ठांकित की गई है। तहसील राजस्व लेखाकार प्रतिवर्ष मांग स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व लगान कम करने वाले आदेशों के आधार ढ़ालबांछो की जांच कर वसूली के आदेश देने की कार्यवाही करते है परन्तु इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त समर्पण पत्र में 25— भूमि में से 7 बीघा भूमि का ही समर्पण बताया है परन्तु समर्पित की गई 7 बीघा भू पड़ौस समर्पण पत्र में अंकित ही नहीं है। कौन से पड़ौस की भूमि समर्पित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(vi) समर्पण पत्र पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.05.2014 को ही टाईपशुदा स्वीकारोक्ति अंकित की हुई है जबकि लेख पत्र पर मार्किंग 20.05.2014 की गई है, परन्तु प्रस्तुतीकरण का कोई अंकन ही नहीं है तथा न ही ऐसा कोई अभिकथन द्वारा पर अंकित है, जिससे यह प्रमाणित हो कि यह लेखपत्र उनके समक्ष आज दिनांक 20.05.2014 को बींजाराम, भलाराम व दुर्गाराम के द्वारा पेश किया तथा खातेदार बींजाराम , भलाराम पुत्र कुम्भाराम व दुर्गाराम पुत्र रावताराम ने समर्पणनामा में अंकित भूमि खसरा नम्बर 227 में से 7 बीघा भूमि सरकार के हक में बिना शर्त समर्पण करना स्वीकार किया तथा न ही कोई हस्ताक्षर/अगुंष्ठ निशान अपनी उपस्थिति में करवाकर संतुष्ट पहचान ली गई है। तथा न ही समर्पण की विस्तृत जांच की है।

इस प्रकार समर्पण पत्र पर तहसीलदार ने दिनांक 19.05.2014 की तिथि में ही आदेश पारित किया जबकि उनके समक्ष 20.05.2014 को पेश होने की मार्किंग है। इस कारण से समर्पणकर्ताओ द्वारा वास्तविक स्वीकृति (तहसीलदार के समक्ष) संदिग्ध प्रतीत होती हैं।

(vii) तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2014 को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 55 के तहत पारित किया है। टिनेन्सी एक्ट के संलग्न अनुसूची iii में धारा 55 बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत कोई प्रविष्टि नहीं है। धारा 225 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों के विरूद्व प्रथम अपील जिला कलक्टर को पेश करने का प्रावधान है। अतः हमारी विनम्र राय में इस न्यायालय को अपीलाधीन आदेश के विरूद्व इस अपील को सुनने व ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है। अतः इस प्रकरण को तहसीलदार शेरगढ़ को पूर्ण सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करना न्यायोचित होगा। ऐसा ही विनिश्चिय माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा 1991 RRD 234 घीसा व अन्य बनाम बालु व अन्य में प्रतिपादित किया है।

(viii) चूंकि आसामी द्वारा भूमि का समर्पण स्वेच्छा से ही किया जा सकता है। समर्पणकर्ता बींजाराम व भलाराम का देहान्त हो चुका है परन्तु दुर्गाराम पुत्र रावताराम सहायक कलक्टर के निर्णय दिनांक 21.04.2023 अनुसार जीवित है। बींजाराम व भलाराम के सभी वारिशान ने भी अपील पेश नहीं की है। चूकि समर्पण सहमति से होने पर ही स्वीकार किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96(3) के प्रावधानानुसार सहमति से पारित डिक्री के विरूद्व अपील नहीं हो सकती। अगर सहमति गलत तरीके से प्राप्त की गई है तो ऐसी सहमति के आधार [illegible] आदेश के विरूद्व अपील का प्रावधान विधि में नहीं है। ऐसे [illegible] समक्ष सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 में ही उपलब्ध है तथा [illegible] (Recall Application) का प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में दायर की जानी चाहि[illegible] जिसने ऐसी सहमति के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विवादास्पद आदेश पारित किया है। यह पक्षकारों का सांविधिक अधिकार हैं। ऐसा ही मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 14320/2024 (नवरतन लाल शर्मा बनाम राधा मोहन शर्मा व अन्य) में दिनांक 12.12.2024 को पारित किया है।

उक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को तहसीलदार शेरगढ़ को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दोनों पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए विधिवत् सुना जावे तथा बाद गहन जांच पूर्ण संतुष्ट होने पर समर्पण पत्र दिनांक 19.05.2014 पर विधिसम्मत् आदेश इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से यथासंभव तीन माह की अवधि में पारित करें। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने तक अपीलाधीन आदेश क्रमांक भू.अ./2014/1178 दिनांक 20.05.2014 का निष्पादन व क्रियान्वन स्थगित किया जाता है तथा रेकर्ड व मौके की स्थिति दोनो पक्षो द्वारा यथावत (Status quo) रखने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार इस प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested